न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकलां जिला शाहपुरा (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— श्री राजकेश मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 219/2016 साबिक प्र.स. 63/2006

उनवान

1 बद्री पिता जगन्नाथ चमार उम्र–वयस्क निवासी उम्मेदपुरा तहसील फूलियाकलां जिला शाहपुरा
2 रामा पिता जगन्नाथ चमार उम्र–वयस्क निवासी उम्मेदपुरा तहसील फूलियाकलां जिला शाहपुरा

---- वादीगण

बनाम

1 जीवणी बैवा श्रवण चमार उम्र–वयस्क निवासी उम्मेदपुरा तहसील फूलियाकलां जिला शाहपुरा
2 नारायण पिता श्रवण चमार उम्र–वयस्क निवासी उम्मेदपुरा तहसील फूलियाकलां जिला शाहपुरा
3 शंकर पिता श्रवण चमार उम्र–वयस्क निवासी उम्मेदपुरा तहसील फूलियाकलां जिला शाहपुरा
4 कालू पिता श्रवण चमार उम्र–वयस्क निवासी उम्मेदपुरा तहसील फूलियाकलां जिला शाहपुरा
5 पांचू पिता श्रवण चमार उम्र–वयस्क निवासी उम्मेदपुरा तहसील फूलियाकलां जिला शाहपुरा
6 गीता पुत्री श्रवण चमार पत्नि जगदीश चमार उम्र–वयस्क निवासी गुलाबपुरा तहसील हूरडा जिला भीलवाडा
7 गोपी पिता लालू चमार उम्र–वयस्क निवासी उम्मेदपुरा हाल मुकाम बीजगोदाम के पास भीलवाडा
8 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार फुलियाकलां जिला भीलवाडा (राज.)

..... प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :::— श्री कन्हैयालाल धाकड———वादीगण अधिवक्ता
राज्य पक्ष तहसीलदार फुलियाकलां
अनुपस्थितः— श्री रामप्रसाद जाट———अधिवक्ता विपक्षी क्र. 02 से 06

निर्णय

दिनांक — 27.03.2024

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी ने एक वाद पत्र खातेदारी अधिकारो की घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत प्रस्तुत किया। ग्राम उम्मेदपुरा पटवार हल्का क्षेत्र डोहरिया की सरहद में स्थित साबिक खसरा 47/1/2 रकबा 08–00 बीघा भूमि पर वादी के पूर्वज स्व. नन्दा पिता लालू चमार के हक में खातेदारी था। पैमाईश कार्यवाही में इस साबिक खसरे से हाल आराजियात संख्या 315, 316, कायम हुए। परन्तु सेटलमेन्ट विभाग के अमीन द्वारा भूप्रबन्ध कार्यवाही करते समय पूर्व की तुल्ना 0.04 हैक्ट. से कमतर करते हुए, विधि विरूद्ध बिलानाम गैरकाबिल काश्त दर्ज कर दिया गया। जिसे हाल नम्बर 320 किस्म गै.मु.रास्ता से कायम करते हुए उसका रकबा 0.07 हैक्टयर तक बढोतरी कर दी गई। जबकि गै.मु.रास्ते में वादी का भू–भाग शामिल है। इस कारित भूल से वादी के हित बैहद प्रभावित हुए है। जिसे दुरूस्त किया जाना अतिआवश्यक होने के साथ कानूनन वादी के हित में होगा। मिलीभगती से कारित गलत इन्द्राज सर्वथा विधि विरूद्ध व गैर कानूनी है। वादी इस दोषयुक्त ईन्द्राज को दुरूस्त करवाने का अधिकारी है। दूसरी ओर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 06 की आराजियात के मध्य मेडबन्दी की हुई है लेकिन फिर भी प्रतिवादी संख्या 04 आये दिन धन व बल के दम पर वादी के काबिज हिस्से पर कब्जा करने का प्रयास करता है। इस पर निषेध लगाये जाने के लिए वादी स्थाई निषेधाज्ञा का अधिकारी है।

2023.06.06 12:12

अतः ग्राम उम्मेदपुरा पटवार हल्का क्षेत्र डोहरिया तहसील फुलियाकलां स्थित हाल बिलानाम गैरकाबिल काश्त दर्ज खसरान संख्या 320 रकबा 0.07 में से 0.04 हैक्टयर कमी कर, उस हिस्से को वादी के हिस्से समाहित कर रकबे में नियमानुसार बढौतरी की जावें। उस विशिष्ठ भूभाग में वादीगण का हक स्वामित्व तय कर, वादीगण को खसरे का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की घोषणात्मक डिक्री पारित फरमाई जावें, तथा साथ ही उक्त आराजीयात पर वादी के कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण किसी प्रकार का दखल न तो स्वयं करें, न किसी अन्य से करावें इस आशय कि स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री से पावंद किया जाना फरमावें।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को दिनांक 29.03.2006 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुतिकरण जवाबदावा मुनासिब मौके लिए जाने के बावजूद अनुपालन नही किए जाने पर उनका अवसर समाप्त किया गया/एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये।

वादी पक्ष द्वारा बतौर गवाह श्री बद्री पिता जगन्नाथ चमार के शहादत्त में प्रस्तुत शपथ–पत्र को रेकार्ड पर लिया जाकर, उन पर लाल श्याही से पी.डब्ल्यू.–01 एवं समर्थन में संलग्न राजस्व आधार अभिलेखों पर आवश्यक प्रदर्श के अंकन किये गये। तदोउपरान्त वादी के नियुक्त विद्वान अभिभाषक ने बहस में अपने अभिवचनों से वादपत्र की समस्त कलमों को दोहराते हुए, वादपत्र को मंजूर किए जाने का अनुरोध किया।

प्रकरण का अधो–पांत अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र के समर्थन मे प्रस्तुत, शपथपत्रों, राजस्व अभिलेख एवं प्रर्दश कराये गये दस्तावेज के तुल्नात्मक परीक्षण/विश्लेषण परिणामस्वरूप न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि ग्राम उम्मेदपुरा के साबिक खसरा साबिक खसरा 47/1/2 रकबा 08–00 बीघा भूमि पर वादी के पूर्वज स्व. नन्दा पिता लालू चमार के हक में खातेदारी रहा था। इसकी ताईद प्रदर्श दस्तावेज संख्या 02 जमाबन्दी संवत् 2041 से हुई है। हाल खसरा संख्या 47/1/2 का साबिक खसरा नम्बर 315, 316 से नवीन निर्मित होना पाया गया है। यह तथ्य प्रदर्श दस्तावेज संख्या 06 भूप्रबन्ध के मिलान क्षेत्रफल के अवलोकन से प्रमाणित हुआ है। इसी प्रकार से हाल खसरा संख्या 320 साबिक खसरा नम्बर 47/1 मी. से नवीन निर्मित हुए है न कि बताये गये साबिक नम्बर 47/1/2 से। लेकिन जिस हाल खसरा संख्या 320 की इस दावे के माध्यम से वांछना की गई है इन आराजी पर वादी पक्ष का कभी मालिकाना हक रहा हो, ऐसा कोई ठोस प्रमाण वादी ने अपने समर्थन में प्रस्तुत नही कराया है।

वादीगण का यह कहना है कि हाल खसरा संख्या 320 साबिक खसरा संख्या 47/1/2 से नवीन निर्मित हुए है। लेकिन वादीगण का यह कथन बूनियादी स्तर पर मिथ्या सिद्ध हुआ है। न्यायालय यह मानता है कि अपने अपने समर्थन में प्रस्तुत कराये जाने वाले दस्तावेजात/सबूत का पर्याप्त होना और स्पष्ट होना आवश्यक है, उन्ही के आधार पर ही पक्षकारों के हितों का निर्धारण किया जा सकता है।

अतः प्रकरण के अधो–पांत अवलोकन करने से तथा प्रर्दश कराये गये दस्तावेज के अध्ययन एवं विश्लेषण पश्चात न्यायालय वादपत्र वादीगण को दोषयुक्त मानते हुए, अस्वीकार किये जाने योग्य मानता है। वादी पक्ष द्वारा दावे के माध्यम रखे गयी दलील/अभिवचन अस्वीकृत किये जाते है।

: आदेश :

अतः–वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट [illegible] का वाद वादीगण सिद्ध नहीं होने व कायम संधारणीय नहीं होने से अस्वीकार किया जाकर के आदेश पारित किये जाते हैं। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

पत्रावली [illegible] सुनाया हो। निर्णय आज दिनांक [illegible] को खुले इजलास सुनाया गया।

(राजकमल मीना)
उपखण्ड अधिकारी, [illegible]
जिला [illegible]